रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 27, 2010/पौष 6, 1932
No. 342] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27, 2010/PAUSHA 6, 1932

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2010

सं. भा.आ.प.-31(1)/2010/मेडि./ 49068- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः -

1. (i) इन विनियमों को " स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन), 2010 (भाग - II) " कहा जाए।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगें।

2. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप /प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे:

3. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली,1997" के शीर्षक "चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला -पात्रता संबंधी मापदण्ड" के अंतर्गत अध्याय II, खण्ड 4 में उपखण्ड 1 के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जाएगा:

"1 क. उसने अध्याय II के खण्ड 5 में यथा विनिर्धारित राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त कर लिए हैं।"

4. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" के अध्याय II, खण्ड 4(2) में " उसने निम्नलिखित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है" शब्दों से पहले निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :

"राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में बैठने का पात्र होने के लिए,"

5. (i) अध्याय II में टिप्पणी भाग के पैरा 2, खण्ड 4 में " एम.बी. बी.एस. पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए गणित में प्राप्त अंकों पर विचार नहीं किया जाएगा" वाक्य का विलोप किया जाएगा।

(ii) अध्याय II में "छात्रों का चयन" शीर्षक के अंतर्गत खण्ड 5 में उप -खण्ड (1) से (4) का विलोप किया जाएगा।

6. अध्याय II में " एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी" शीर्षक के अंतर्गत खण्ड-5, उप- खण्ड-5 को निम्नलिखित रुप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"I. प्रत्येक अकादमिक वर्ष में एक एकल पात्रता व प्रवेश परीक्षा अर्थात एम. बी. बी.एस. पाठयक्रम में दाखिले के लिए "राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" होगी। राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा का समग्र पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा किया जाएगा। तथापि, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, "एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" आयोजित करने के लिए संगठन (नों) का चयन करेगी।

II. किसी अकादमिक वर्ष विशेष के लिये एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में दाखिले के हेतु पात्र होने के लिये अभ्यर्थी के लिये यह आवश्यक होगा कि वह उक्त अकादमिक वर्ष के लिए आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 50% (पचास प्रतिशत) अंक प्राप्त करे। जबकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछडे वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मामले में, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40%(चालीस प्रतिशत) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा और निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के मामले में, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 45% (पैंतालीस प्रतिशत) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

बशर्ते कि जब पर्याप्त संख्या में सम्बन्धित श्रेणियों के अभ्यर्थी एम.बीबी.एस. पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये किसी अकादमिक वर्ष में, राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में यथा विनिर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल

रहते हैं तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के परामर्श से केन्द्रीय सरकार अपने विवेक पर, संबंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए, एम.बी.बी. एस. पाठ्यक्रम में दाखिले हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंक कम कर सकती है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए गए अंक केवल उसी वर्ष के लिए लागू होंगे।

III. राज्य /संघ राज्य में वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार ही मेडिकल कॉलेजों में सम्बन्धित श्रेणियों की सीटों का आरक्षण होगा। राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की एक अखिल भारतीय मेरिट सूची और राज्य वार मेरिट सूची तैयार की जाएगी और केवल उक्त सूचियों में से ही अभ्यर्थियों को एम.बी.बी. एस. पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाएगा।

IV. ऊपर खण्ड (ii)में यथा विनिर्धारित न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले किसी भी अभ्यर्थी को उक्त अकादमिक वर्ष में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं दिया जाएगा।

V. संबंधित श्रेणियों के अंदर एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में किए जाने वाले सभी दाखिले, अनन्य रुप से राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों पर आधारित होंगे।

डॉ. पी. प्रसन्नाराज, अपर सचिव

[विज्ञापन-III/4/100/10-असा.]

पाद टिप्पणी:- प्रधान विनियमावली नामतः स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड (4) में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 4 मार्च, 1997 की अधिसूचना के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009 और 19.04.2010 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2010

No. **MCI-31(1)/2010-Med./49068**- In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Medical Council of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", namely: -

1. (i) These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education (Amendment), 2010 (Part-II)."

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Regulations on Graduate Medical Education, 1997, the following **additions / modifications / deletions / substitutions**, shall be as indicated therein:-

3. In Chapter II, Clause 4 under the heading "Admission to the Medical Course – Eligibility Criteria" of Graduate Medical Education Regulations, 1997 , the following **shall be added** after sub-clause 1: -

"1 A. He/She has obtained a minimum of marks in National Eligibility-cum-Entrance Test as prescribed in Clause 5 of Chapter II."

4. In Chapter II, Clause 4 (2) of Graduate Medical Education Regulations, 1997 , the following shall be added before words "He/She has passed qualifying examination as under:"

" In order to be eligible to take National Eligibility-cum-Entrance Test,"

5.(i) In Chapter II, Clause 4, para 2 of the Note section, the sentence "Marks obtained in Mathematics are not to be considered for admission to MBBS Course." **shall be deleted.**

(ii) In Chapter II, Clause 5 under the heading "Selection of Students", sub-clause (1) to (4) **shall be deleted.**

6. In Chapter II, Clause 5, sub-clause - 5, under the Heading "Procedure for selection to MBBS Course shall be as follows" **shall be substituted** as under: -

"I. There shall be a single eligibility cum entrance examination namely 'National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to MBBS course' in each academic year. The overall superintendence, direction and control of National Eligibility-cum-Entrance Test shall vest with Medical Council of India. However, Medical Council of India with the previous approval of the Central Government shall select organization/s to conduct 'National Eligibility-cum-Entrance Test for admission to MBBS course.

II. In order to be eligible for admission to MBBS course for a particular academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of 50% (Fifty Percent) marks in each paper of National Eligibility-cum-Entrance Test held for the said academic year. However, in respect of

candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum percentage marks shall be 40% (Forty Percent) in each paper and in respect of candidates with locomotory disability of lower limbs, the minimum percentage marks shall be 45% (Forty-Five Percent) in each paper of National Eligibility-cum-Entrance Test :

Provided when sufficient number of candidates belonging to respective categories fail to secure minimum marks as prescribed in National Eligibility-cum-Entrance Test in any academic year for admission to MBBS Course, the Central Government in consultation with Medical Council of India may, at its discretion, lower the minimum marks required for admission to MBBS Course for candidates belonging to respective categories and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for the said year only.

III. The reservation of seats in medical colleges for respective categories shall be as per applicable laws prevailing in States/ Union Territories. An all India merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in National Eligibility-cum-Entrance Test and candidates shall be admitted to MBBS course from the said lists only.

IV. No Candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks as prescribed in Sub Clause (ii) above shall be admitted to MBBS Course in the said academic year.

V. All admissions to MBBS course within the respective categories shall be based solely on marks obtained in the National Eligibility-cum-Entrance Test."

Dr. P. PRASANNARAJ, Addl. Secy.

[ADVT-III/4/100/10/Exty.]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India Notification dated the 4th March, 1997 and amended vide Council notification dated 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009 & 19.04.2010.

4906 GI/10-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.